भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 524
दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए

समाप्त अवधि वाली खदानों का पुनर्ग्रहण कार्य

524. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान के विभिन्न खनन क्षेत्रों में कई खदानों में पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद भी न तो मिट्टी भराई की गई है और न ही सुधार कार्य किया गया है, जिसके कारण वर्षा जल जमाव और आसन्न दुर्घटनाओं का गंभीर खतरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या राजस्थान के मकराना सहित कई जिलों में बंद खदानों के ढहने, जलभराव और पशुपालकों के गिरने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं;
(ग) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं सामने आईं और उन पर क्या कार्रवाई की गई;
(घ) क्या पट्टा समझौतों में स्पष्ट उल्लेख है कि पट्टा अवधि समाप्त होने पर खदान को मिट्टी, मलबा और पत्थरों से भरकर सुरक्षित बना दिया जाएगा; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में मकराना तहसील, डीडवाना-कुचामन जिले में बंद खदान क्षेत्र में मिट्टी धंसने का एक मामला दर्ज किया गया है। इस घटना में किसी भी मनुष्य या जानवर की जान नहीं गई।

(घ) और (ङ) प्रमुख खनिजों के संबंध में, 'खनन पट्टे की शर्तें और नियम' खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 [एमसीआर, 2016] के नियम 12 के तहत निर्धारित हैं। एमसीआर, 2016 के नियम 12(1)(ङ) के अनुसार, पट्टेदार खनन कार्यों से प्रभावित भू-आकृति को यथासंभव बहाल करेगा। इसके अतिरिक्त, खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 व्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास तथा समापन, पुनर्ग्रहण और पुनर्वास के लिए प्रावधान निर्धारित करते हैं।

इसके अतिरिक्त, एमसीआर, 2016 की अनुसूची VII के अंतर्गत खनन पट्टे के 'अधिकार और दायित्व' की धारा 3.2(iv) में यह प्रावधान है कि पट्टेदार अपने व्यय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करेगा, खनन की गई भूमि का पुनर्ग्रहण करेगा, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करेगा तथा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले अन्य उपायों का पालन करेगा।

साथ ही, राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, गौण खनिजों के मामले में, राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 29(13) के तहत, स्वीकृत अंतिम खानबंदी योजना के अनुसार भूमि पुनर्ग्रहण का प्रावधान है। यदि किसी समाप्त हो चुके खनन पट्टे में, पट्टेदार स्वीकृत अंतिम खानबंदी योजना के अनुसार पुनर्ग्रहण करने में विफल रहता है, तो पट्टेदार द्वारा जमा की गई वित्तीय सुरक्षा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 29(18) के तहत जब्त की जा सकती है। परंतु, यदि समाप्त हो चुके खनन पट्टे में खनिजों की उपलब्धता सिद्ध हो जाती है, तो नियमों के अनुसार उस क्षेत्र को पुनः नीलाम करने का प्रावधान है।

*****